ग्रामीण विकास मंत्रालय

मांग संख्या 77

ग्रामीण विकास विभाग

क. वसूलियों को घटाने के बाद, बजट आबंटन इस प्रकार हैः

(करोड़ रुपए)

	मुख्य शीर्ष	बजट 2003-2004			संशोधित 2003-2004			बजट 2004-2005		
		आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़
राजस्व		10260.00	19.28	10279.28	15490.00	18.76	15508.76	11463.00	19.00	11482.00
पूंजी		*10.00*	*...*	*10.00*	*10.00*	*...*	*10.00*	*5.00*	*...*	*5.00*
जोड़		**10270.00**	**19.28**	**10289.28**	**15500.00**	**18.76**	**15518.76**	**11468.00**	**19.00**	**11487.00**
1. सचिवालय-आर्थिक सेवाएं	3451	...	10.16	10.16	...	9.91	9.91	...	10.05	10.05
ग्रामीण विकास के लिए विशेष कार्यक्रम										
2. स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना	2501	720.00	...	720.00	720.00	...	720.00	900.00	...	900.00
जोड़ - ग्रामीण विकास के लिए विशेष कार्यक्रम		***720.00***	***...***	***720.00***	***720.00***	***...***	***720.00***	***900.00***	***...***	***900.00***
ग्रामीण रोजगार										
3. संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना										
(क) नकद धनराशि	2505	3712.50	...	3712.50	3712.50	...	3712.50	4050.00	...	4050.00
(ख) खाद्यान्न सामग्री	2505	775.00	...	775.00	1038.75	...	1038.75	260.00	...	260.00
(ग) एसजीआरवाई का विशेष घटक	2505	...	...	...	4888.74	...	4888.74	280.00	...	280.00
जोड़-ग्रामीण रोजगार		**4487.50**	**...**	**4487.50**	**9639.99**	**...**	**9639.99**	**4590.00**	**...**	**4590.00**
आवास										
4. ग्रामीण आवास	2216	1700.00	...	1700.00	1700.00	...	1700.00	2242.00	...	2242.00
	4216	10.00	...	10.00	10.00	...	10.00	5.00	...	5.00
जोड़ - ग्रामीण आवास		**1710.00**	**...**	**1710.00**	**1710.00**	**...**	**1710.00**	**2247.00**	**...**	**2247.00**
अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम										
5. डीआरडीए प्रशासन	2515	198.00	...	198.00	198.00	...	198.00	207.00	...	207.00
6. प्रशिक्षण	2515	22.70	7.62	30.32	22.70	7.50	30.20	44.20	7.60	51.80
	3601	15.30	...	15.30	15.30	...	15.30	12.00	...	12.00
	जोड़	*38.00*	*7.62*	*45.62*	*38.00*	*7.50*	*45.50*	*56.20*	*7.60*	*63.80*
7. ग्रामीण विकास के अन्य कार्यक्रम	2515	77.00	1.50	78.50	77.00	1.35	78.35	102.00	1.35	103.35
जोड़ - ग्रामीण विकास के अन्य कार्यक्रम		**313.00**	**9.12**	**322.12**	**313.00**	**8.85**	**321.85**	**365.20**	**8.95**	**374.15**
सड़कें और पुल										
8. केन्द्रीय सड़क निधि-अन्तरण										
को	3054	2325.00	...	2325.00	2325.00	...	2325.00	2148.00	...	2148.00
से	3054	-2325.00	...	-2325.00	-2325.00	...	-2325.00	-2148.00	...	-2148.00
निवल		...	...	...	...	...	...	...	...	...
9. प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना	3054	2090.00	...	2090.00	2090.00	...	2090.00	2219.00	...	2219.00
10. उत्तर पूर्वी क्षेत्र तथा सिक्किम के लाभ के लिए बनाई जाने वाली परियोजनाओं/ योजनाओं के संबंध में एकमुश्त प्रावधान	2552	949.50	...	949.50	1027.01	...	1027.01	1146.80	...	1146.80
कुल जोड़		**10270.00**	**19.28**	**10289.28**	**15500.00**	**18.76**	**15518.76**	**11468.00**	**19.00**	**11487.00**

(करोड़ रुपए)

		बजट 2003-2004			संशोधित 2003-2004			बजट 2004-2005		
	विकास शीर्ष	बजट समर्थन	आं.ब.बा.सं.	जोड़	बजट समर्थन	आं.ब.बा.सं.	जोड़	बजट समर्थन	आं.ब.बा.सं.	जोड़
ख. सरकारी उद्यमों में निवेश										
1. आवास और शहरी विकास निगम	22216	10.00	...	10.00	10.00	...	10.00	5.00	...	5.00
ग. आयोजना परिव्यय										
केन्द्रीय योजनाः										
1. ग्रामीण विकास के लिए विशेष कार्यक्रम	12501	720.00	...	720.00	720.00	...	720.00	900.00	...	900.00
2. ग्रामीण रोजगार	12505	4487.50	...	4487.50	9639.99	...	9639.99	4590.00	...	4590.00
3. आवास	22216	1710.00	...	1710.00	1710.00	...	1710.00	2247.00	...	2247.00
4. अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम	12515	313.00	...	313.00	313.00	...	313.00	365.20	...	365.20
5. सड़कें और पुल	13054	2090.00	...	2090.00	2090.00	...	2090.00	2219.00	...	2219.00
6. उत्तर-पूर्वी क्षेत्र	22552	949.50	...	949.50	1027.01	...	1027.01	1146.80	...	1146.80
जोड़		**10270.00**	**...**	**10270.00**	**15500.00**	**...**	**15500.00**	**11468.00**	**...**	**11468.00**

1. यह प्रावधान ग्रामीण विकास विभाग के सचिवालय पर व्यय के लिए है।

2. स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (एस.जी.एस.वाई.) जो 1.4.1999 से लागू की गई थी, को एक संपूर्ण कार्यक्रम के रूप में बनाया गया है जिसके अंतर्गत स्व-सहायता समूहों में ग्रामीण निर्धनों के संगठन जैसे स्व-रोजगार के सभी पहलू और उनका क्षमता निर्माण, प्रशिक्षण, क्रिया-कलापों वाले समूहों की योजना, आधार संरचना विकास, बैंक ऋण और सब्सिडी के द्वारा वित्तीय सहायता और विपणन सहायता आदि शामिल है। विगत अनुभव ने यह प्रदर्शित किया है कि यदि प्रयत्न व्यक्तिगत अभिमुखी के स्थान पर समूह आधारित हो तो सफलता की दर अधिक होती है। अतः यह कार्यक्रम स्व-सहायता समूहों को बढ़ावा देने पर जोर देता है। यह चुने गये महत्वपूर्ण कार्य-कलापों में छोटे उद्यमों के विकास में सामूहिक प्रयासों पर जोर देता है। बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थाओं को कार्यक्रम के कार्यान्वयन में घनिष्ठ रूप से शामिल और सहयोजित किया जाता है और इसके लिए प्रत्येक महत्वपूर्ण क्रिया-कलापों हेतु परियोजना रिपोर्ट तैयार की जाती है और स्व-रोजगारियों का चुनाव किया जाता है और परियोजना के बाद की मानीटरिंग आदि की जाती है। केन्द्र और राज्यों द्वारा 75:25 के अनुपात में निधियों की साझेदारी की जाती है। इस योजना के लक्षित वर्ग में गरीबी की रेखा से नीचे के गरीब ग्रामीण परिवारों को शामिल किया गया है। लक्षित वर्ग के अंतर्गत मार्गनिर्देशों में योजना हेतु यह प्रावधान किया गया है कि इसमें लक्ष्य के अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों का हिस्सा 50%, महिलाओं का 40% और अपंग लोगों का 3% होगा।

3. हालांकि सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना (एसजीआरवाई) 25 सितम्बर, 2001 को रोजगार आश्वासन योजना (ईएएस) और जवाहर ग्राम समृद्धि योजना (जेजीएसवाई) की चल रही योजनाओं को मिलाकर शुरू की गई थी, फिर भी इसे दिनांक 1-4-2002 को ही पूर्णतः चालू किया गया। इस नये कार्यक्रम का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में अतिरिक्त वेतन रोजगार प्रदान करना और खाद्य सुरक्षा भी, साथ ही सामुदायिक, सामाजिक और आर्थिक परिसंपत्तियों का सृजन और इन क्षेत्रों में आधार सुविधाओं का विकास करना है। इस उद्देश्य के लिए एस.जी.आर.वाई. में कामगारों के लिए प्रति कार्य दिवस 5 किलोग्राम की दर से खाद्यान्न का वितरण, वेतन के अंश के रूप में शामिल है। यद्यपि, इसकी नकद धनराशि केंद्र और राज्यों द्वारा 75:25 के अनुपात में वहन की जाती है। फिर भी, केन्द्र सरकार राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को जारी किए जाने खाद्यान्न की समस्त लागत वहन करती है। अब तक इस कार्यक्रम का कार्यान्वयन दो स्तरों में किया जा रहा है। प्रत्येक स्तर को इस कार्यक्रम के अंतर्गत उपलब्ध कुल संसाधनों का 50% प्राप्त होता है। पहले स्तर को जिला और मध्यवर्ती पंचायत स्तरों पर कार्यान्वित किया गया है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत उपलब्ध निधियों और खाद्यान्नों का 50% जिला परिषदों और मध्यवर्ती पंचायतों के बीच 40:60 के अनुपात में किया जाता है। दूसरे स्तर का कार्यान्वयन कार्यक्रम ग्रामीण पंचायत स्तर पर किया जाता है। इस स्तर के अंतर्गत सम्पूर्ण आवंटन का वितरण डी.आर.डी.ए./जिला परिषदों के माध्यम से ग्राम पंचायतों के बीच किया जाता है। कार्यक्रम का कार्यान्वयन पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से किया जा रहा है। अगले वर्ष से एसजीआरवाई को एकल स्कीम के रूप में कार्यान्वित किया जाएगा। तथापि, पंचायती राज संस्थाओं को तीनों स्तरों अर्थात, जिला पंचायत, मध्यवर्ती पंचायत और ग्राम पंचायत के बीच आवंटन क्रमशः 20:30:50 के अनुपात में किया जाएगा।

एसजीआरवाई का एक विशेष घटक है जिसके अंतर्गत राज्य सरकारों द्वारा विधिवत रूप से अधिसूचना जारी किए जाने तथा कृषि मंत्रालय द्वारा इसे स्वीकार कर लिए जाने के पश्चात् आपदा-प्रभावित ग्रामीण क्षेत्रों में अतिरिक्त मज़दूरी रोजगार के माध्यम से खाद्य सुरक्षा को बढ़ाया जाएगा। एसजीआरवाई के अन्तर्गत इस प्रयोजन के लिए आबंटित खाद्यान्न का कुछ प्रतिशत भाग आरक्षित रखा गया है। प्राकृतिक आपदा से ग्रस्त जिले, जिसे विधिवत् रूप से इस प्रकार अधिसूचित कर दिया गया हो, में मजदूरी रोजगार के सृजन के संबंध में केंद्र अथवा राज्य सरकार की किसी योजना के कार्यान्वयन के लिए इस विशेष घटक के अन्तर्गत खाद्यान्नों का उपयोग किया जा सकता है। मजदूरी के नकदी घटक तथा सामग्री लागत को इस योजना से पूरा किया जाएगा जिसके अन्तर्गत उप-घटक का प्रयोग किया जाएगा।

4. इंदिरा आवास योजना (आई.ए.वाई.) का उद्देश्य प्राथमिक रूप से अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों, मुक्त किये गये बंधुआ मजदूरों और गरीबी की रेखा से नीचे के ग्रामीण गैर-अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लोगों के लिए भी अनुदान सहायता देकर आवास यूनिटों का निर्माण करने और उनके मौजूदा कच्चे घरों के उन्नयन में सहायता के लिए था। वर्ष 1995-96 से आई.ए.वाई. के लाभ युद्ध में मारे गये रक्षा तथा पैरामिलिट्री कर्मचारियों के परिवारों को भी दिया गया है भले ही, उनकी आय कुछ भी हो परन्तु वह निम्नलिखित शर्तों को पूरा करते हों: (i) वे ग्रामीण क्षेत्रों में रह रहे हों (ii) वे आवास पुनर्वास की किसी अन्य स्कीम के अंतर्गत शामिल न हो और (iii) वे बेघर हों या आवास उन्नयन की जरूरत हो। निधियों का 3% ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे के विकलांग लोगों के लाभ के लिए आरक्षित किया गया है। अब तक मैदानी इलाकों में प्रत्येक आवास के लिए सहायता की अधिकतम सीमा 20 हजार रुपए और पर्वतीय/दुर्गम क्षेत्रों में 22 हजार रुपये निर्धारित की गई है। वर्ष 1999-2000 से प्रति यूनिट 10 हजार रुपये की दर से खराब मकानों का उन्नयन भी शुरू किया गया है। तथापि, अब यह निर्णय लिया गया है कि मैदानी इलाके में आईएवाई आवास के प्रत्येक एकक की लागत को 20 हजार रुपए से बढ़ा कर 25 हजार रुपए तथा पहाड़ी इलाके में 22 हजार रुपए से बढ़ा कर 27,500 रुपए कर दिया जाए। अनुपयोगी कच्चे घरों की यूनिट लागत को दिनांक 1.4.2004 से 10,000 रुपए से बढ़ा कर 12,500 रुपए कर दिया गया है। ऋण और आर्थिक सहायता योजना के अंतर्गत कच्चे मकानों के उन्नयन के लिए आईएवाई निधि का 20 प्रतिशत हिस्सा आबंटित किया जा सकता है। ऋण और आर्थिक सहायता योजना

के अंतर्गत, ऐसे ग्रामीण परिवारों जिनकी वार्षिक आय 32,000 रुपए से अधिक नहीं है, को मकान के निर्माण हेतु धनराशि प्रदान की जाती है। इन ग्रामीण परिवारों को पहले आई.ए.वाई के अंतर्गत शामिल नहीं किया गया था परन्तु इस पहल से वह अपने मकान बनाने के हकदार हो गये हैं। पात्र परिवारों को 10 हजार रुपए तक की सब्सिडी और 40 हजार रुपए तक का ऋण प्रदान किया जाता है। ग्रामीण परिवारों के लिए ऋण की उपलब्धता सुधारने के लिए "हुडको" को इक्विटी सहायता भी दी जा रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में किफायती प्रौद्योगिकियों, सामग्रियों, डिजाइनों आदि को बढ़ावा देने और उसका प्रचार-प्रसार करने के लिए 1.4.1999 से एक स्कीम अर्थात् ग्रामीण आवास एवं आवास-स्थल विकास की नई स्कीम चल रही है। इसके अलावा, देश में ग्रामीण निर्माण केन्द्रों की स्थापना की एक स्कीम कार्यान्वित की जा रही है जिसका उद्देश्य प्रशिक्षण और किफायती निर्माण सामग्री के उत्पादन के द्वारा प्रौद्योगिकी अन्तरण और कार्य-कौशल बढ़ाना है। इसके अलावा, ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा ग्रामीण आवास के लिए एक राष्ट्रीय मिशन की स्थापना की गई है ताकि इस क्षेत्रक में निरंतर आधार पर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी निवेशों को लाया जा सके और प्रौद्योगिकी, आवास, स्थल और ऊर्जा से संबंधित मुद्दों में समाभिरूपता लायी जा सके जिसके द्वारा सामुदायिक अन्तर-मध्यस्थता के जरिये और विनिर्दिष्ट समय सीमा के अंदर ग्रामीण क्षेत्रों में सभी के लिए किफायती आवास प्रदान किये जा सकें।

5. डी.आर.डी.ए. प्रशासन स्कीम का उद्देश्य डी.आर.डी.ए. को सुदृढ़ करना और उन्हें अधिक व्यावसायिक एवं प्रभावकारी बनाना है। इसे एक विशेषज्ञता वाली एजेंसी के रूप में बनाया गया है जो एक ओर मंत्रालय के गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों के प्रबंधन में सक्षम होगी और दूसरी ओर जिलों में गरीबी उन्मूलन के समग्र प्रयत्नों को इनके साथ प्रभावकारी रूप से संबद्ध कर सकेगी। प्रशासनिक व्यय को पूरा करने के लिए इस स्कीम का वित्त पोषण केन्द्र और राज्य सरकारों द्वारा 75:25 के अनुपात में किया गया है।

6. इस आवंटन में राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान और ग्रामीण विकास की राज्य संस्थाओं के सुदृढ़ीकरण, विस्तार प्रशिक्षण केन्द्र प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों और सेमिनारों का आयोजन, पंचायत विकास और प्रशिक्षण, अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग और सूचना प्रौद्योगिकी जैसी प्रशिक्षण स्कीमों आदि के लिए सहायता देना शामिल है।

7. इसमें स्वैच्छिक कार्रवाई, आईईसी क्रियाकलापों और मानीटरिंग प्रणाली के संवर्धन के माध्यम से लोक कार्रवाई और ग्रामीण प्रौद्योगिकी प्रवर्धन परिषद (सीएपीएआरटी) को सहायता पहुंचाने तथा "ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधाओं के लिए प्रावधान" (पुरा) नामक एक नई योजना" के लिए प्रावधान शामिल है।

8 और 9. प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना को दिसम्बर, 2000 में शुरू किया गया था, जिसका उद्देश्य 500 से अधिक की आबादी वाले ग्रामीण क्षेत्रों में सभी असंयोजित आवास-स्थलों को दसवीं योजना अवधि के अंत तक सभी मौसमों में चालू अच्छी सड़कों के माध्यम से जोड़ना है। पहाड़ी राज्यों (पूर्वोत्तर, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एवं कश्मीर, उत्तरांचल) और रेगिस्तानी क्षेत्रों (जैसा कि मरूभूमि विकास कार्यक्रम तथा आदिवासी (अनुसूची v) क्षेत्रों के लिए निर्धारित किया गया है) के संबंध में यह उद्देश्य 250 और इससे अधिक की आबादी वाले आवास-स्थलों को सड़कों से जोड़ना है। कार्यक्रम के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए 60,000 करोड़ रुपए की आवश्यकता का अनुमान लगाया गया है। वर्तमान में निधियों का उपलब्ध स्रोत हाई स्पीड डीजल पर उपकर का 50 प्रतिशत हिस्सा लगभग 2148.00 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष बैठता है। इसके अतिरिक्त 2004-05 के दौरान विदेशी सहायता के रूप में 320.00 करोड़ रुपए की राशि प्राप्त होने की आशा है।

10. इसमें सिक्किम सहित पूर्वोत्तर क्षेत्र के लाभ हेतु परियोजनाओं/स्कीमों के लिए एकमुश्त प्रावधान किया जा रहा है।